91/143 13496PK

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 944499

-1-

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	— रु0 19,58,981/—
बाजारू मूल्य	— रू0 5,61,600/—
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	— रू0 1,37,000/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — [illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 944500

4. सम्पत्ति का विवरण —भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.239 है0 का 1/2 भाग अर्थात 0.1195 है0 व खसरा संख्या 174सं रकबा 0.0885 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.208 है0 स्थित— ग्राम— बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. माल की इकाई — हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.208 है0

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 1 किमी0 से अधिक दूर।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.

10 JUL 20

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं

10. बोरिंग / कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 219</u>

उत्तर	: खसरा संख्या—198
दक्षिण	: खसरा संख्या—221अ व 221ब
पूरब	: खसरा संख्या—222
पश्चिम	: खसरा संख्या—218

[illegible]

[illegible] कार्यालय [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO

B-944102

10 JUL 2012

चौहद्दी खसरा नं0 174सं

उत्तर	खसरा संख्या–173
दक्षिण	खसरा संख्या–177
पूरब	खसरा संख्या–181
पश्चिम	रेलवे लाईन

[illegible]

[illegible]

कार्यालय [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10 JUL 2012

प्रथम पक्ष की संख्या– 1	द्वितीय पक्ष की संख्या– 1
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
फूलचन्द पुत्र भैजू निवासी–ग्राम बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	वक्तुण्ड रियलटर्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड आफिस 1202, अन्तरिक्ष भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट पैलेस, नई दिल्ली, वर्तमान पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० गंगापाल सिंह वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– व्यापार

[illegible]
[illegible] —— [illegible]
[illegible] ——
[illegible] ——
[illegible] —— [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

291322

यह विक्रय विलेख फूलचन्द्र पुत्र बैजू निवासी–ग्राम बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् वक्रतुण्ड रियलटर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड आफिस 1202, अन्तरिक्ष भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट पैलेस, नई दिल्ली, वर्तमान पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गंगापाल सिंह वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 547224

-2-

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.239 हे0 का 1/2 भाग अर्थात 0.1195 हे0 व खसरा संख्या 174स रकबा 0.0885 हे0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.208 हे0 स्थित– ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सम्बन्धित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00025, 00195 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 547225

भूमि के मालिक, काबिज व काबिल है और उक्त भूमि भूदान, सीलिंग, पट्टे व सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है, यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का

[illegible]
[illegible]
[illegible]

वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 19,56,981/-(रूपया उन्नीस लाख छप्पन हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग उपभोग करेगा। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

विक्रय पत्र

[illegible] 561,600.00	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]

[illegible] शुल्क [illegible]

[illegible] सहित

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी [illegible] बरौना [illegible] लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/7/2012 समय [illegible]

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के. श्रीवास्तव

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

16/7/2012

[illegible] प्रतिफल की धनराशि प्राप्त होना स्वीकार किया। जिनकी पहचान [illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] बरौना [illegible] लखनऊ

क्रेता

श्री [illegible] बा.लि. द्वारा [illegible] सिंह

पुत्र श्री [illegible] सिंह

पेशा व्यापार

निवासी 13 [illegible] मार्ग, लखनऊ

[illegible]

[illegible] W [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] लखनऊ

[illegible] पुत्र [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] बरौना [illegible] लखनऊ

[illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के. श्रीवास्तव

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

16/7/2012

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 27,00,000/– प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.208 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,61,600/– होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,37,000/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अव्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

Registration No.: 3499 Year: 2012 Book No.: 1

[illegible] [illegible]

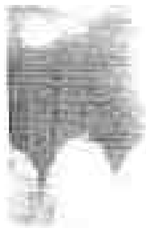

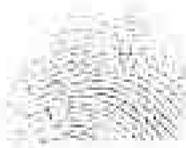

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 19,56,981/— द्वारा चेक संख्या— 068907 दिनांकित 16.07.2012 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 19,56,981/—(रूपया उन्नीस लाख छप्पन हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 16.07.2012

गवाह :

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता
(लमलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

क्रेता

[illegible]

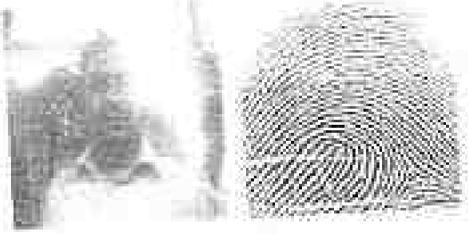

[illegible]

মৌজা- [illegible] - ৫৩ [illegible]
খতিয়ান-৩০ দাগ- ১৭৫৩
তারিখ - ১.১০.১৪

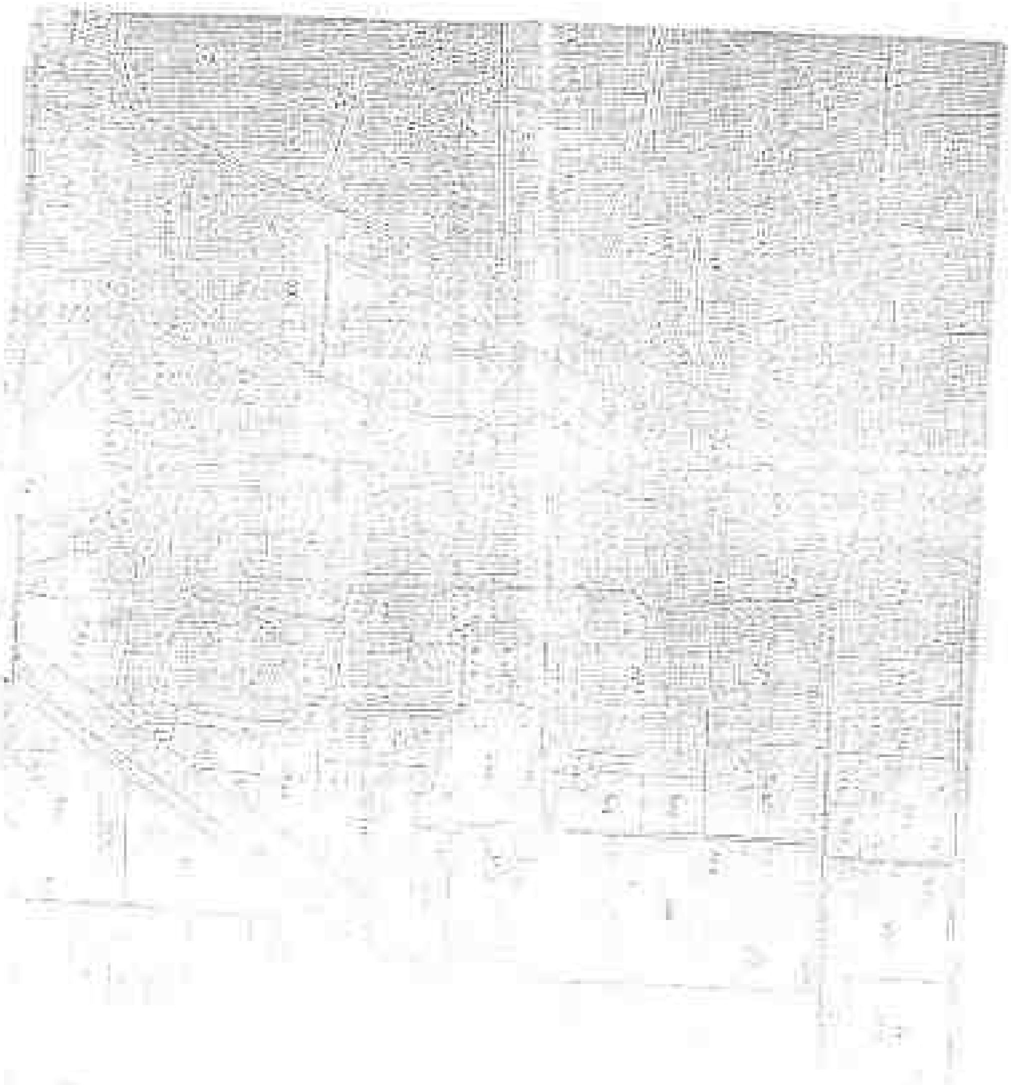

आज दिनांक 16/07/2012 को

बही सं 1 जिल्द सं 14494

पृष्ठ सं 75 से 98 पर क्रमांक 13496

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] पी० के० सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/7/2012